न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 23/2024 निर्णय दिनांकः– 22-07-25
(जीसीएमएस संख्या 2024/49)

1. मेघसिंह पुत्र रूघनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी चक 2 एमएम भलूरी तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. देवी सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी भलूरी तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व बज्जू।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09–10–2023
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितिः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हरीराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 09–10–2023 जिसके द्वारा वादगत भूमि को बतौर स्माल पेच में आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 2 एमएम के मुरब्बा नम्बर 36/47 के किला नम्बर 5 तादादी 1 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर स्माल पेच आवंटन की गई है। वादगत भूमि जिस मुरब्बे में स्थित है उसी मुरब्बे में अपीलांट की भूमि स्थित रही है तथा अपीलांट की भूमि भी आवंटित भूमि के चिपती भूमि थी। अपीलांट की भूमि चिपती होने के कारण आवंटन हेतु वरीयता अपीलांट की भी बनती थी मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफा तौर पर यह कहते हुए आदेश पारित कर दिये कि अपीलांट के धारण की भूमि गैर खातेदारी होने के कारण आवंटन हेतु पात्र नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि किसी गैर खातेदार को भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है जबकि उक्त नियम में केवल टेन्योर टिनेंट शब्द ही अंकित किया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि का एकतरफा तौर पर आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने से अपीलांट के हितों पर कठुराघात है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना सिर्फ अपीलांट के अधिकारों का हनन किया है जबकि खजानाराज को भी नुकसान कारित किया है क्योंकि यदि वादगत भूमि का आवंटन निलामी के माध्यम से किया जाता तो ज्यादा राशि खजानाराज में जमा करवाई जाती। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर जारी किया गया है जिसमें मियादं अधिनियम बाधक नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय ना तो अपीलांट को पक्षकार बनाया गया तथा ना ही सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया गया। ऐसे में जैसे ही अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी हुई, प्रथम जानकारी से अपीलांट द्वारा बिना विलम्ब किये अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपीलांट का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील स्पष्ट तौर पर मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण मियांद प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है वो संतोषजनक कारण नहीं है। मियांद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलांट को प्रत्येक दिन के विलम्ब का संतोषजनक कारण अंकित करना होगा। अतः अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने के आधार पर मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

आगे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 09–02–2023 को वादगत भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में वादगत भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई स्थगन नही होने की स्थिति में ही वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। जहां तक चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कथन है, इस संबंध में कुल 3 चिपते काश्तकार थे जिसमें से भंवरसिंह तथा शेरसिंह द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने में अनापत्ति व्यक्त की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने शेष चिपते काश्तकार जो कि अपीलांट है उनके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

संबंध में आदेश पारित किया है कि गैर खातेदार होने के कारण अपीलांट स्माल पेच श्रेणी में आवंटन करवाने का पात्र नहीं है। जिस कारण केवल मात्र अपीलांट का ही प्रार्थना पत्र होने एवं अपीलांट ही वादगत भूमि को आवंटन करवाने का पात्र होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश से वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया है। अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि संयुक्त खाते की भूमि है तथा अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करते समय शेष सयुंक्त गैर खातेदारों को ही पक्षकार नहीं बनाया है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण पर मियादं दोनों बिन्दु पर खारिज की जावे।

5. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा आदेश होने से मियांद अधिनियम बाधक नहीं है इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपील मियांद बाहर पेश होने से अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–10–2023 का है तथा अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 31–01–2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु मियांद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। विधि का भी सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेसस्कर है। उक्त विधि के सिद्धान्त तथा अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर किया जाकर अपील अपीलांट अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि चक 2 एमएम के मुरब्बा नम्बर 36/47 के किला नम्बर 5 की तादादी 1 बीघा भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच आवंटन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट अपीलाधीन आवंटित अराजी के चिपते टीनेंट है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अपीलांट मोरूसी गैर खातेदार है। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मोरूसी गैर खातेदार काश्तकार स्मालपेच भूमि आवंटन का पात्र है अथवा नहीं?

राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 में स्मालपेच आवंटन के लिए टेनयोर टीनेंट होना आवश्यक है। इसमें गैर खातेदार अथवा खातेदार का भेद नहीं किया गया है। परन्तु उपनिवेशन विभाग के पत्रांक 1886 दिनांक 31–08–2007 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नियम 14 व 14 ए के तहत स्मालपेच व मिडियम पेच भूमि के आंवटन हेतु मोरूसी गैर खातेदार पात्र नहीं है।

इन प्रावधानों के आलोक में चूंकि अपीलांट स्मालपेच भूमि आवंटन करवाने का पात्र नही है। अतः अपीलांट को अपील पेश करने की अधिकारिता नही होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22-07-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर